न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक– 02.09.2022

प्रार्थना–पत्र संख्या :–212 / 2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

GCMS NO:- 2022/384

बाबूलाल आ0 भूरया जाति मीना नि0 रघुनाथपुरा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा प.म. दुगारी मे वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 68 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 568 / 310 रकबा 0.3236 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 587 / 317 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी तन्हा खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों की मुश्तकिल सीमाये कायम नही हो रही है इसलिए पडौसी खातेदारों से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। मुश्तकिल सीमाएं कायम नही होने से व पत्थरगढी नही होने के कारण प्रार्थी अपने खाते की भूमियों मे सुचारू रूप से खेती काश्त नही कर पाता है अतः प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों की नियमानुसार पैमाईश कर मौके पर पत्थरगढी की जाकर सीमा चिन्ह कायम किया जाना न्याय के हित मे अत्यन्त आवश्यक होने से पुलिस इमदाद से पत्थरगढी किये जाने और मुश्तकिल सीमा चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की बहस, पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रघुनाथपुरा प.म. दुगारी के खसरा नम्बर 568 / 310 रकबा 0.3236 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 587 / 317 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500 / – रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा